# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/130/2018

| अपीलार्थीः— | प्रत्यर्थीः— |
| --- | --- |
| श्री प्रताप सिंह एडवोकेट, | लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 |
| कोर्ट कैम्पस बहरोड, जिला अलवर। | जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर |

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 27—11—2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.09.18 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2018 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.11.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2340 दिनांक 12.11.18 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 29.08.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर को पत्रांक 196 दिनांक 01.11.18 के माध्यम सें संबंधी बिन्दूवार सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी ने जबाव के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 29.09.18 के संबंध में प्रार्थी को पत्रांक 3200 दिनांक 19.11.2018 से चाही गई सूचना के संबंध में आपकी शिकायत ऑनलाईन सीएम हैप्पलाईन—181 राजस्थान सम्पर्क की बेबसाईट पर अग्रेषित की गई है, आपकी शिकायत के संबंध में वेबसाईट पर जाकर स्वयं जानकारी/सूचना प्राप्त कर सकतें है अथवा सिटीजन कॉल सेंटर सीएम हैल्पलाईन 181 पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने व उसकी सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का जवाब से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलांट अस्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)